



राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान

शास्त्री सर्कल, उदयपुर। दूरभाष: 0294-42415092

Web: www.mines.rajasthan.gov.in

Email: estt.uda.mg@rajasthan.gov.in



क्रमांक:-निदे/नियु-5/प. रिव्यु डीपीसी(ई-10656)/2026

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

--:: कार्यालय आदेश ::--

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के अन्तर्गत **संस्थापन अधिकारी** के पद की डीपीसी वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का पुनरावलोकन तथा वर्ष 2024-25 की नियमित पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.03.2026 की अनुशंषा के अनुसरण में निम्नांकित **प्रशासनिक अधिकारी** को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त दिनांक से **संस्थापन अधिकारी** के पद पर पे-मेट्रिक्स लेवल-15 (दिनांक 24.10.2024 से पे-मेट्रिक्स लेवल-16) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. स.	कार्मिक का नाम	जन्म दिनांक	चयन श्रेणी	चयन वर्ष	रिक्त दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री रामविलास मीणा (अजजा)	01.12.1962	सामान्य	2022-23	22.11.2022	से.नि. 30.11.2022
2.	श्री रमाकान्त शर्मा	21.03.1965	सामान्य	2022-23	22.11.2022	स्वे.से.नि. 07.10.2024
3.	श्री नेहरूलाल मीणा (अजजा)	30.01.1963	सामान्य	2022-23	22.11.2022	से.नि. 31.01.2023
4.	श्री महेन्द्रसिंह कर्मा (अजा)	20.08.1964	अजा	2022-23	22.11.2022	से.नि. 31.08.2024
5.	श्री अमित पंचोली	14.08.1963	सामान्य	2023-24	01.04.2023	से.नि. 31.08.2023
6.	श्री मोहम्मद सलीम	15.06.1963	सामान्य	2023-24	01.04.2023	से.नि. 30.06.2023
7.	श्री अब्दुल अजीज मंसुरी	15.06.1967	सामान्य	2023-24	01.04.2023	
8.	श्री गणेशलाल भील (अजजा) (दिव्यांग-एलडी)	01.10.1963	अजजा (दिव्यांग)	2023-24	01.06.2023	से.नि. 30.09.2023
9.	श्री गणपत सिंह पंवार	13.08.1964	सामान्य	2024-25	01.04.2024	से.नि. 31.08.2024
10.	श्री विष्णु पारीक	01.07.1969	सामान्य	2024-25	01.04.2024	
11.	श्री नरपतसिंह भाटी	01.07.1969	सामान्य	2024-25	01.09.2024	
12.	श्री सत्यनारायण विजय	14.09.1967	सामान्य	2024-25	02.10.2024	
13.	श्री मेघसिंह चौहान	19.03.1966	सामान्य	2024-25	08.10.2024	

नोट:-

- उक्त कार्मिकों में से सेवानिवृत्त, निधन, विभाग से निष्कासित/कार्यमुक्त अथवा वर्तमान में निलंबित कार्मिकों को छोड़कर शेष नवपदोन्नत कार्मिक अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेश तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट नियन्त्रण अधिकारी के मार्फत निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
- पदोन्नति पर पदस्थापन के आदेश पृथक से यथाशीघ्र जारी किये जाएंगे।
- उपर्युक्त रेखांकित किये गये कार्मिक वर्कचार्ज से परिवर्तित कार्मिक होने से उक्त का चयन अस्थाई छायापद/अधिसंख्यक पद पर ही किया गया है। उक्त पद उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति अथवा उच्च पदों पर पदोन्नति पर स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे, जिससे पूर्व में स्वीकृत मूल कैडर की नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां प्रभावित नहीं होंगी।
- संबंधित नियंत्रण अधिकारी उक्त कार्मिकों का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करने से पूर्व उनसे संतान संबंधी घोषणा पत्र प्राप्त कर रिक्त दिनांक की स्थिति में संतानों की संख्या का आंकलन करते हुए कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/ पार्ट दिनांक 16.03.2023 एवं संबंधित स्पष्टीकरण/परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार वेतन निर्धारण करेंगे एवं वेतन

RajKaj Ref No.:
21314128

eSign 1.0



निर्धारण की सूचना मय संतान घोषणा पत्र निदेशालय को प्रेषित करेंगे। निधन/सेवानिवृत्त कार्मिकों को काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

5. जिन कार्मिकों को रिक्ति दिनांक 24.10.2024 से पूर्व की प्राप्त हुई है, उनका पदोन्नति पर वेतन निर्धारण पे-मेट्रिक्स लेवल-15 में ही किया जावे। साथ ही यदि उक्त कार्मिक दिनांक 24.10.2024 को राज्य सेवा में निरन्तर कार्यरत है तो वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1) एफडी/रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 24.10.2024 के अनुसरण में उक्त अधिसूचना जारी होने की तिथि से लेवल-16 में वेतन नियत किया जाना है।
6. यह पदोन्नति आदेश लम्बित न्यायिक वाद यदि कोई हो, के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगा।

(एम.पी. मीणा)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव (निदेशक/अ.नि.प्र.), केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर।
3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, निदेशालय, उदयपुर।
4. समस्त कार्यालयध्यक्ष, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान।
5. अतिरिक्त निदेशक(आईटी), केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. बिल लिपिक/एसीआर सेल/स्ट्रेन्थ लिपिक/वर्कचार्ज अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर।
7. संबंधित कार्मिक **मार्फत** संबंधित कार्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक